भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1841

मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक)

राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन संबंधी दशकीय अध्ययन

1841. श्री येरंम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पहली बार 'राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन संबंधी दशकीय अध्ययन' नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ राज्यों को राजस्व अधिशेष तथा कुछ राज्यों को राजस्व घाटे की स्थिति में पाया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश एक राजस्व-घाटे वाला राज्य बन गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्व-घाटे वाले राज्यों की संरचना तेजी से बदल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(घ) उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को राजस्व अर्जन बढ़ाने हेतु सलाह देने/प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पहली बार 'राज्य वित्त 2022-23: दशकीय विश्लेषण' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बारह राज्य राजस्व घाटे में थे और सोलह राज्यों में राजस्व अधिशेष था।

(ख): सीएजी की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दस वित्तीय वर्षों अर्थात 2013-14 से 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2013-14 को छोड़कर आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार राजस्व घाटे में थी।

(ग): 'राज्य वित्त 2022-23: दशकीय विश्लेषण' शीर्षक वाली सीएजी रिपोर्ट में राजस्व घाटे/राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की परिवर्तित हो रही संरचना को दर्शाने वाला डाटा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): सभी राज्यों ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किया है, जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप निरंतर विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी

बनाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है।

राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय का गुणन कारक अधिक होता है और निजी निवेश में वृद्धि होती है। इससे आपूर्ति पक्ष की क्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है जिससे राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि होती है।

*****

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा लिखित प्रश्न सं. 1841 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यों के राजस्व घाटे (-)/राजस्व अधिशेष (+) का ब्योरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	-13899	-26441	-35540	-8611	-43488
2	अरुणाचल प्रदेश	3766	2670	4036	5385	6370
3	असम	6580	-1322	383	-2733	-12072
4	बिहार	6897	-1784	-11325	-422	-11288
5	छत्तीसगढ़	684	-9609	-6857	4642	8592
6	गोवा	355	-325	-1652	59	2399
7	गुजरात	3212	1945	-22548	6408	19865
8	हरियाणा	-11270	-16990	-22386	-20333	-17212
9	हिमाचल प्रदेश	1508	12	-97	1115	-6336
10	झारखंड	5521	1961	-3114	6944	13564
11	कर्नाटक	679	1185	-19338	-13666	13496
12	केरल	-17462	-14495	-25830	-29539	-9226
13	मध्य प्रदेश	6744	-2801	-18356	4815	4091
14	महाराष्ट्र	11975	-17116	-41142	-16374	-1936
15	मणिपुर	813	446	554	1449	1734
16	मेघालय	-537	-152	-815	654	-44
17	मिज़ोरम	1534	204	-774	602	190
18	नागालैंड	517	-214	375	1634	689
19	ओडिशा	14190	2430	9076	43472	19456
20	पंजाब	-13135	-14285	-17296	-18468	-26045
21	राजस्थान	-28900	-36371	-44002	-25870	-31491
22	सिक्किम	694	-1344	-761	412	473
23	तमिलनाडु	-23459	-35909	-62326	-46538	-36215
24	तेलंगाना	4337	-6254	-22298	-9335	5944
25	त्रिपुरा	142	-2375	-1075	1489	570
26	उत्तर प्रदेश	28250	67560	-2367	33430	37263
27	उत्तराखंड	-980	-2136	1113	4128	5310
28	पश्चिम बंगाल	-10399	-19661	-29527	-32000	-27295